

(Authoritative English text of this Department Notification No. STE-F (9)-1/2018 dated 06.07.2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

**Government of Himachal Pradesh  
Department of Environment, Science & Technology**

No. STE-F (9)-1/2018

Dated: Shimla-2 the

6<sup>th</sup> July, 2018

**NOTIFICATION**

WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh vide this Department's Notification No. STE-F (4)-2/2008, dated 07<sup>th</sup> July, 2009 and Notification No. STE-F(4)-2/2008-II, dated 19<sup>th</sup> March, 2011, with an objective to improve plastic waste management system, under the **Himachal Pradesh Non- Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995**, imposed ban on use of plastic carry bags ( irrespective of their sizes and thickness ) and plastic items having one time use such as disposable plastic cups, glasses and plates which are made up of non -biodegradable material as listed in the Schedule appended to the **Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995** and littering of non-biodegradable waste in the State;

AND WHEREAS, it has come to the notice of the Government that despite complete ban on polythene carry bags (irrespective of their sizes and thickness) and plastic items having one time use such as disposable plastic cups, glasses and plates vide aforesaid notification, thermocol cups, plates, glasses and spoons are still in use. Therefore, the State Government has not achieved the expected results;

NOW, THEREFORE, the Governor of Himachal Pradesh, in continuation of the Notification No. STE -F (4) - 2/2008 dated 07<sup>th</sup> July, 2009, 13<sup>th</sup> August, 2009 and Notification No. STE-F(4)-2/2008-II, dated 19<sup>th</sup> March, 2011 and in exercise of the powers conferred under sub section (1) of section 3-A of the Non- Biodegradable Garbage (Control) Act,1995, is pleased to issue directions that no person including shopkeepers, vendors, wholesalers, retailers, hawkers, rehriwala etc. shall use "Thermocols Cutlery" i.e. cups, plates, glasses, spoons or any other item used for serving and consuming food in any form manufactured from non-biodegradable material as listed in the Schedule appended to the **Himachal Pradesh Non- Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995**.

Any person, institution/commercial establishment (educational institution, offices, hotels, shops, restaurants, sweetshops, dhabas, religious institution, industrial

establishments, banquet halls etc.) causing breach of the aforesaid prohibition shall be liable for the penalties as per the provisions contained in the Act *ibid*.

The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order that the officers/ officials already authorized vide notification no. STE- F(4) -2/ 2008 dated 07-07-2009 for entry and inspection under section 7(A) and to compound any offence as per provision of section 11 of the Act *ibid*, while compounding the offences committed under the Act *ibid* shall specify the sum for compounding as per the following criteria:-

Sr. No. (A)	Quantity of Prohibited material i.e. Thermocol cutlery	Amount (Rs.)
1.	Upto 100 gms	500/-
2.	101-500 gms	1500/-
3.	501 gms – 1.00 kgs.	3000/-
4.	Above 1 kgs to 5 kgs.	10,000/-
5.	Above 5 kgs to 10 kgs.	20,000/-
6.	More than 10 kgs.	25,000/-
(B)	Littering of "Thermocols Cutlery" like cups, plates, glasses, etc. waste by any institution/ commercial establishment (educational institution, offices, hotels, shops, restaurants, sweet shops, dhabas, temple complexes, industrial establishments, banquet halls, etc.,) with in its premises and on roads, streets, hill slopes, drains, forest areas, public parks, all public places etc.	5000/-
(C)	Littering of "Thermocols Cutlery" like cups, plates, glasses, etc. waste by individuals in the premises of any private or commercial establishments (educational institutions, offices, hotels, shops, restaurants, sweetshops, dhabas, temple complexes, industrial establishments, banquet halls, etc.,) with in its premises and on roads, streets, hill slopes, drains, forest areas, public parks, all public places etc.	1000/-

The ban on the thermocol cutleries will be made effective after 3 months of the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh in the entire State of Himachal Pradesh in the public interest, so that the manufacturers, stockiest, shopkeepers may dispose off their stocks and no financial loss is caused to them .

By order

(Tarun Kapoor)  
Addl. Chief Secretary (Env. Sci. & Technology) to the  
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. As above.

Dated: Shimla-2, the

6<sup>th</sup> July, 2018

**Copy forwarded for information and necessary action to:-**

1. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh Shimla-2.
2. The Pr. Secretary to the Chief Minister, H.P. Shimla.
3. The Private Secretaries to all the Cabinet Ministers Government of H.P. Shimla-2.
4. The Private Secretary to the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.
5. All the Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
6. All Heads of the Departments of H.P.
7. All the Divisional Commissioner in H.P.
8. All the Deputy Commissioners in H.P.
9. The Commissioner (Municipal Corporation) Shimla /Dharamshala.
10. The Director (Env.S&T)H.P, U.S. Club Shimla-171001.
11. The Member Secretary, HP State Council for Science, Technology & Environment, Block No. 34, SDA Complex Kasumpti Shimla-9
12. The Member Secretary, HP State Pollution Control Board, Paryavaran Bhawan, Phase-III, New Shimla-9.
13. The Controller, Printing and Stationary, H.P. Government Press, Shimla-5 for publishing in the Rajpatra.
14. Guard file.

*Jr*  
06/7/18

(D.C.Rana)

Special Secretary (Env. Sci. & Technology) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Ph. No. 0177-2626212  
Email:dc.rana04@nic.in

**हिमाचल प्रदेश सरकार  
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

संख्या: एस०टी०ई०-एफ(९)-१/२०१८

तारीख शिमला-२,

६ जुलाई, २०१८

**अधिसूचना**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, १९९५ के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या एस०टी०ई०-एफ(४)२/२००८ तारीख ७ जुलाई, २००९ और अधिसूचना संख्या एस०टी०ई०-एफ(४)२/२००८, तारीख १९ मार्च, २०११ द्वारा प्लास्टिक कैरी बैगज (उनके आकार और मोटाई का विचार किए बिना) और एक बार उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे कि प्रयोज्य प्लास्टिक के कप, गिलास और प्लेटों, जिन्हें हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, १९९५ से संलग्न अनुसूची में यथासूचीबद्ध जीव अनाशित सामग्री से बनाया गया है, के उपयोग पर और राज्य में जीव अनाशित अपशिष्ट फैलाने पर प्रतिबन्ध लगाया है;

सरकार के ध्यान में आया है कि उपर्युक्त अधिसूचनाओं द्वारा पॉलिथीन कैरी बैगज (उनके आकार और मोटाई का विचार किए बिना) और एक बार उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं, जैसे कि प्रयोज्य प्लास्टिक के कपों पर पूर्ण प्रतिबन्ध के बावजूद भी, थर्मोकोल के कप, प्लेटें, गिलास और चम्मच अभी भी प्रयोग में हैं। इसलिए, राज्य सरकार प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, अधिसूचना संख्या एस०टी०ई०-एफ(४)२/२००८ तारीख ७ जुलाई, २००९, तारीख १३ अगस्त, २००९ और अधिसूचना संख्या एस०टी०ई०-एफ(४)२/२००८-११ तारीख १९ मार्च, २०११ के क्रम में और हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, १९९५ की धारा ३-क की उपधारा(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देते हैं कि दुकानदारों, विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, फुटकर विक्रेताओं, फेरी लगाकर बेचने वालों, रेहड़ीवालों आदि सहित कोई भी व्यक्ति थर्मोकोल कटलरी अर्थात् कप, प्लेटें, गिलास, चम्मच या हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, १९९५ से संलग्न अनुसूची में यथा सूचीबद्ध जीव अनाशित सामग्री से किसी भी रूप में विनिर्मित खाना परोसने या उसका उपभोग करने के लिए प्रयुक्त किसी वस्तु का उपयोग नहीं करेगा।

उपरोक्त प्रतिषेध का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, संस्था/वाणिज्यिक स्थापन (शैक्षणिक संस्थाएं, कार्यालय, होटल, दुकानें, रेस्तरां, मिठाई की दुकानें, ढाबे, धार्मिक संस्थाएं, औद्योगिक स्थापन, प्रीतिभोज हॉल आदि) पूर्वोक्त अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार दंड के लिए दायी होगा/होंगे।

१

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि अधिसूचना संख्या एस.टी.ई.(4)-2-2008, तारीख 7-7-2009 द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 (क) के अधीन प्रवेश करने और निरीक्षण करने तथा धारा 11 के अधीन अपराध का शमन करने के लिए पहले से ही प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का शमन करते समय निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार शमन के लिए रकम विनिर्दिष्ट करेगा/करेंगे:-

क्रम संख्या (क )	प्रतिष्ठित सामग्री अर्थात् थर्मोकोल कटलरी की मात्रा	रकम (रूपए में)
1.	100 ग्राम तक	500 / -
2.	101 से 500 ग्राम तक	1500 / -.
3.	501 ग्राम से 1.00 किलोग्राम तक	3000 / -
4.	1 किलोग्राम से अधिक 5 किलोग्राम तक	10,000 / -
5.	5 किलोग्राम से अधिक 10 किलोग्राम तक	20,000 / -
6.	10 किलोग्राम से अधिक	25,000 / -
(ख)	किसी भी संस्था/वाणिज्यिक स्थापन ( शैक्षणिक संस्था, कार्यालय, होटल, दुकानें, रेस्तरां, मिठाई की दुकानें, ढाबे, मन्दिर परिसर, औद्योगिक स्थापन, प्रीतिभोज हॉल, आदि) द्वारा अपने परिसर और सड़क, गली, पहाड़ी ढलानों, नालियों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों और समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर थर्मोकोल कटलरी जैसे कि कप, प्लेट, गिलास आदि का अपशिष्ट कचरा फैलाने पर	5000 / -
(ग)	किसी व्यक्ति द्वारा प्राइवेट परिसर या वाणिज्यिक स्थापनों (शैक्षणिक संस्थाओं, कार्यालयों, होटलों, दुकानों, रेस्तरांओं, मिठाई की दुकानों, ढाबों, मन्दिर परिसरों, औद्योगिक स्थापनों, प्रीतिभोज हॉलों आदि) द्वारा अपने परिसरों और सड़कों, गलियों, पहाड़ी ढलानों, नालियों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थानों आदि पर "थर्मोकोल कटलरी" जैसे कप, प्लेटें, गिलास आदि का अपशिष्ट (कचरा) फैलाना।	1000 / -

सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में थर्मोकोल कटलरी पर प्रतिबन्ध, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से, लोकहित में तीन मास के पश्चात् प्रभावी होगा, ताकि विनिर्माता, स्टॉकिस्ट, दुकानदार अपने स्टॉक को बेच सकें और उनको कोई वित्तीय हानि कारित न हो।

आदेश द्वारा

तरुण कपूर  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 ।
2. प्रधान सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला ।
3. निजी सचिव, समस्त माननीय मन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
5. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त मण्डलायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
9. आयुक्त, नगर निगम, शिमला एवं धर्मशाला ।
10. निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हि०प्र० ।
11. सदस्य सचिव, हि०प्र० राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन फेस-3, न्यू शिमला-9 ।
12. सदस्य सचिव, हि०प्र० राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद्, एस०डी०ए० कॉम्प्लैक्स कसुम्पटी, शिमला-9 ।
13. नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हि०प्र० सरकार मुद्रणालय, शिमला-5 असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।
14. संरक्षण नस्ति ।

१८/०७/१८

(डी०सी०राणा)

विशेष सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

हिमाचल प्रदेश सरकार ।

दूरभाष: 0177-2626212

ईमेल: dc.rana04 @nic.in